

आवेदन फॉर्म

एनएसीएच/एसआई के माध्यम से किस्त/ईएमआई की वसूली का स्थगन

शाखा/मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक,
.....शाखा
.....मंडल

महोदया/ प्रिय महोदय,
..... के नाम पर

गृह ऋण/कार ऋण/एक्सप्रेस क्रेडिट/शिक्षा ऋण/पेंशन ऋण/अन्य ऋण

ऋण खाता संख्या

एनएसीएच* के माध्यम से ईएमआई की वसूली

स्थायी अनुदेश (एसआई) के माध्यम से ईएमआई की वसूली

मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए, ईएमआई के भुगतान में 3 महीने की रोक (मोरेटोरियम) की अनुमति देने के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, मैं/हम अपने उपर्युक्त मीयादी ऋण (टर्म लोन) खाते में किस्त की वसूली 01.06.2020 से 31.08.2020 तक स्थगित कराना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं। मैं/हम समझते हैं कि:

- मेरे/हमारे ऋण की चुकौती अवधि स्थगन की उपरोक्त अवधि तक बढ़ा दी जाएगी।
- स्थगन की अवधि के दौरान मेरे/हमारे ऋण खाते में ब्याज उपचित होता रहेगा और इसके परिणामस्वरूप मेरी/हमारी ईएमआई की राशि/संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- मैं/हम आपको भविष्य में एनएसीएच/एसआई के माध्यम से आस्थगित किस्तों/ईएमआई की वसूली करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

एनएसीएच के मामले में

बैंक और शाखा का नाम:

आईएफएससी कोड:

भवदीय,

प्रथम कर्जदार का हस्ताक्षर

दूसरे कर्जदार का हस्ताक्षर

मोबाइल नंबर-

मोबाइल नंबर-

(* अन्य बैंक खाते के माध्यम से किस्त/ईएमआई का भुगतान किया गया है।